संख्या-449/2021/917ई/23-11-2021-668ई/2011

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक/सदस्य (वित्त), उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक-87/लेखा/बजट/2021-22/उपशा/लखनऊ, दिनांक 03-06-2021 एवं पत्र संख्या-0060/लेखा-10/बजट/2021-22/उपशा/लखनऊ, दिनांक 01-07-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण हेतु वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 623.70 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 623.70 लाख (रू0 छः करोड़ तेईस लाख सत्तर हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय प्राधिकरण के अधिनियम के प्राविधानों तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा तथा वित्त विभाग के आदेश/वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के प्राविधानों का भी अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

(3) आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित की जायेगी तथा लेखों का मिलान महालेखाकार के खाते से किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-03-राजकीय राजमार्ग-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को सहायता-0301-राज्यमार्गो का अनुरक्षण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या-449/2021/917ई(1)/23-11-2021-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सदस्य, वित्त उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
8- लोक निर्माण अनुभाग-10
9- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in